



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1948 (श10)
(सं0 पटना 1095) पटना, बुधवार, 9 सितम्बर 2026

विधि विभाग

अधिसूचना
9 सितम्बर 2026

एस0ओ0 216 दिनांक 09 सितम्बर 2026—कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984(अधिनियम-66, वर्ष 1984) की धारा-3 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पटना उच्च न्यायालय के परामर्श के पश्चात्, कुटुम्ब न्यायालय को प्रदत्त अधिकारिता एवं शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनार्थ, अरवल में प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, का एक न्यायालय स्थापित करती है। कुटुम्ब न्यायालय, अरवल, जिला अरवल की राजस्व-सीमा के भीतर उद्भूत मामलों पर अधिकारिता का प्रयोग, दिनांक-10 सितम्बर, 2026 के प्रभाव से करेगा तथा प्रधान न्यायाधीश, जहानाबाद, की अधिकारिता, ऐसे मामलों पर, दिनांक-10 सितम्बर, 2026 से नहीं रह जाएगी।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-07/2026/7424/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव, बिहार।

9 सितम्बर 2026

एस0ओ0 216 दिनांक 09 सितम्बर 2026का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड(3) के अधीन उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एक्ट-07/2026/7424/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

बलराम दूबे,

सरकार के सचिव, बिहार।

The 9th September 2026

S.O. 216 dated 9th September 2026— In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub- Section (1) of Section 3 of the Family Courts Act-1984 (Act-66 of 1984) the State Government, after Consultation with the High Court of Judicature at Patna, is pleased to establish a Court of Principal Judge, Family Court at Arwal for the purpose of exercising jurisdiction and powers conferred on Family Courts. The Family Court at Arwal shall exercise jurisdiction over the matter arising within the revenue-limits of Arwal District with effect from 10th September, 2026 and Principal Judge, Family Court, Jehanabad will cease to have jurisdiction on such matter from 10th September, 2026.

(File No.-A/Act-07/2026/7424/J.)

By Order of the Governor of Bihar,

Balram Dubey,

Secretary to the Government of Bihar.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1095-571+100-डी0टी0पी0।

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>